



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243979
CG-DL-E-01032023-243979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944

No. 898]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 फरवरी, 2023

का.आ. 935(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय उपायुक्त, धेमाजी (NH515) के कि.मी. 0 से 82 असम राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH515 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व), धेमाजी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH515 के	असम	धेमाजी	जोनाइ	1 नंबर 2 रामधन

		कि.मी. 0 से 82 तक			
--	--	----------------------	--	--	--

[फा. सं. NHIDCL/PMU- DBRG/DPR /NH-15 & 515/2022]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2023

S.O. 935(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 82 of NH-515 of Office of the Deputy Commissioner, Dhemaji in the State of ASSAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH515 in the State of ASSAM.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner (Revenue), Dhemaji ()	0KM To 82KM	ASSAM	DHEMAJI	Jonai	1 No.2 Ramdhan

[F. No. NHIDCL/PMU- DBRG/DPR /NH-15 & 515/2022]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.